राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर

(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 10(2)ग्रावि/नरेगा/संस्था/ 2015 जयपुर दिनांकः 3 OCT 2019

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।

विषय – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सिक्योर (SECURE) सॉफ्ट के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ताओं का स्पष्टीकरण लेने बाबत्।

सन्दर्भ – समसंख्यक पत्रांक दिनांक 25.04.2019 एवं 25.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत SECURE Soft के सम्बन्ध में दिनांक 25.04.2019 एवं दिनांक 25.06.2019 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

Secure Soft पर जिलेवार उपलब्ध डाटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया –

1. **Estimate Report –** Secure Soft में Project Details के पार्ट 2 (Details – 2) में विभागीय निर्देशों के अनुरुप प्रत्येक कार्य की एस्टीमेट रिपोर्ट तैयार कर अंकित की जानी चाहिए थी, परन्तु इसकी पालना नहीं की जा रही है। एवं Irrelevent note अंकित किया जा रहा है। जबकि यह कार्य से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें कार्य के मानक, उपयोगिता, वर्तमान स्थिति इत्यादि के सम्बन्ध में टिप्पणी होनी चाहिए। उक्त रिपोर्ट के अभाव में वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना विभागीय निर्देशों के अनुसार उचित नहीं है।

2. **प्रस्ताव रिवर्ट/ टीएस केन्सिल** – पीओ लॉगिन से (ब्लॉक स्तर) कार्य की तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना एवं सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की पूर्ति की जाकर ही जिला स्तर पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों हेतु भिजवाया जाना। यह पाया गया है कि बार–बार एक ही कार्य का प्रस्ताव रिवर्ट/ टीएस केन्सिल किया जा रहा है, तथा कार्यक्रम अधिकारी स्तर से प्रस्ताव भेजे जाने से पूर्व, जॉच नहीं की जा रही है।

सिक्योर सॉफ्ट पर अधिकतम एक बार ही टीएस केन्सिल/रिवर्ट का प्रावधान है। इससे अधिक किसी भी कार्य को यदि टीएस केन्सिल/ रिवर्ट किया जाता है तो उस कार्य की स्वीकृति की कार्यवाही नहीं हो सकेगी। अतः सम्बन्धितो को निर्देशित किया जावे तथा ऐसे कार्मिकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे, तथा की गई कार्यवाही से विभाग को भी अवगत कराया कराया जावे। जिससे स्वीकृतियॉ जारी किये जाने में अनावश्यक विलम्ब की स्थिति पैदा न हो।

(राजेन्द्र विजय)
परियोजना निदेशक एवं
संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
3. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
5. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त राजस्थान।
6. एमआईएस सैल में भेजकर लेख है कि विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

D:\arvind sir (Bhup)\Letter.docx.doc

Scanned by CamScanner